

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
57/2025

दायर दिनांक  
15.04.2025

निर्णय दिनांक  
12.11.2025

अनवान

1. दयाराम पिता वरदू जाति जाट आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. गेहरू पिता सोला जाति जाट आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मोहन पिता सोला जाति जाट आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. छगन पिता नंदराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. कमलेश पिता नारायण जाति जाट आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. राजाराम पिता प्रभू जाति जाट आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. लेहरी पुत्री हेम जाति जाट आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
7. शान्ती पुत्री हेम जाति जाट आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
8. शान्तिलाल पिता दलीचन्द जाति जैन आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
9. नंदराम पिता किशन जाति सुथार आयु वयस्क निवासी गौराजी का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थीया

अप्रार्थी सं० 8

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच  
अधिवक्ता श्री सौरभ बारेगामा

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 122 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1988 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2300 हैक्ट० कृषि भूमि, खाता संख्या 123 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3396/1983, 3397/1983, 3398/1983 कुल किता 03 कुल रकबा 0.0700 हैक्ट० कृषि भूमि, खाता संख्या 121 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1984, 1985, 1986, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 3399/1983 कुल किता 12 कुल रकबा 2.1700 हैक्ट० कृषि भूमि प्रार्थी के सहखातेदारी

Page | 1

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़



एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के सहखातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 12.11.2025 को विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 9 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 6, 7, 8 के विरुद्ध वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा निम्बाहेड़ा पटवार हल्का निम्बाहेड़ा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 122 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1988 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2300 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 123 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 3396/1983, 3397/1983, 3398/1983 कुल किता 03 कुल रकबा 0.0700 हैक्ट0 कृषि भूमि, खाता संख्या 121 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 1984, 1985, 1986, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 3399/1983 कुल किता 12 कुल रकबा 2.1700 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 निम्बाहेड़ा को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवासिका)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन  
कपासन जिला-चित्तौडगढ